न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–45/2015–16

करूण सिंह बनाम हरदेव सिंह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12/5/18	**आदेश** यह वाद श्री करूण सिंह, पिता स्व0 चन्द्रमा सिंह, मुहल्ला–ढकनपुरा, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना के द्वारा श्री हरदेव सिंह, पिता स्व0 राम सिंहासन सिंह, मोहल्ला–ढकनपुरा, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना के विरूद्ध लाया गया है। आवेदक के द्वारा विपक्षी के नाम से अंचल सम्पतचक मौजा–कण्डाप, खाता नं0 86, खेसरा नं0 1258 हेतु कायम जमाबंदी सं0 $\frac{23}{1}$ को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक का कथन है कि (1) उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज है। परिवारिक वंशावली इस प्रकार है। 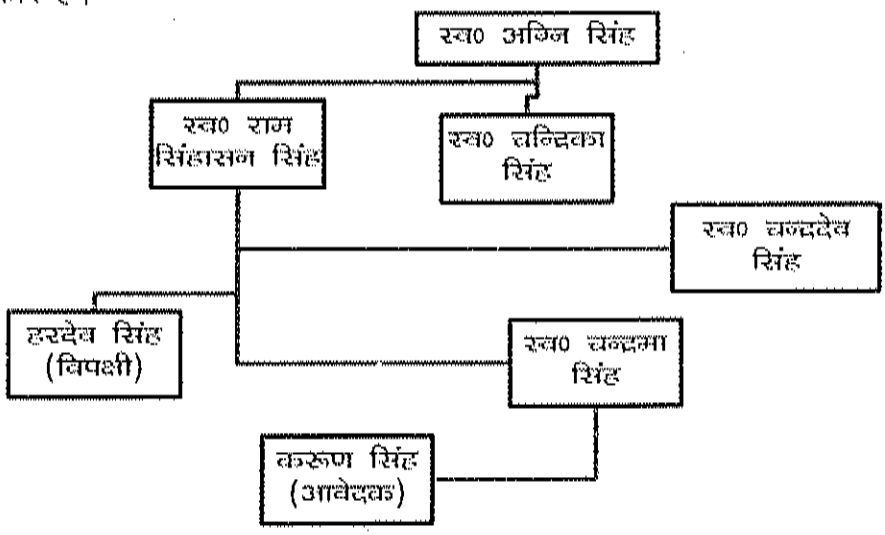 (2) मौजा कण्डाप, थाना नं0 129, खाता नं0 86, खेसरा नं0 801, 834, 853, 1258 कुल रकबा 10.76एकड़ 15.08.1941 के निबंधित केवाला से आवेदक के पिता स्व0 चन्द्रमा सिंह एवं अन्य के द्वारा क्रय किया गया। (3) चन्द्रमा सिंह की दिसम्बर, 2004 में मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी राज कुमारी देवी के नाम से मालगुजारी रसीद कटने लगी। (4) चन्द्रमा सिंह की मृत्यु के बाद दिनांक 20.01.2007 को चन्द्रिका सिंह, रामकुमारी देवी एवं हरदेव सिंह के बीच कुछ सम्पति को लेकर बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारानामा पर स्व0 चन्द्रदेव सिंह की पुत्री विमल देवी के द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है। (5) विमल देवी के द्वारा दिनांक 04.06.1995 के एक बंटवारानामा के	

आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड के 27 कट्टा पर अपना दावा करते हुए अंचलाधिकारी, सम्पतचक को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, सम्पतचक के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 479/2013–14 के अन्तर्गत दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 479/2013–14 के आदेश के विरूद्ध हरदेव सिंह (इस वाद के विपक्षी) के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 48/2013–14 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 479/2013–14 में पारित अंचलाधिकारी, सम्पतचक के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(7) आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने हक एवं स्वत्व की घोषणा हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत वाद सं0 13/2014–15 दायर किया गया, जिसमें विमल देवी के साथ हरदेव सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 27.12.2014 को आदेश पारित किया गया है।

(8) विपक्षी हरदेव सिंह के नाम से कायम जमाबंदी सं0 23/1 को अवैध बताते हुए, रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल की गयी है:

(1) दिनांक 15.08.1941 का केवाला एवं उसका हिन्दी रूपान्तरण

(2) रामकुमारी देवी के नाम से 10.76एकड़ का दिनांक 21.09.2013 को निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

(3) राम कुमारी देवी के नाम से 10.76 एकड़ की दर्ज 1991–92, 2011–12, 2013–14 की लगान रसीद

(4) दिनांक 12.01.2007 का बंटवारानामा

(5) विमल देवी के द्वारा अंचलाधिकारी, सम्पतचक को दिया गया आवेदन

(6) दिनांक 04.06.1995 का बंटवारानामा

(7) वार्ड सदस्य कांति देवी का प्रमाण–पत्र जो विमल देवी के दखल कब्जा के पक्ष में है।

(8) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{479}{2}$ वर्ष 2013–14 का राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन

(9) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 48/2013–14 में दिनांक 27.12.2014 का पारित आदेश

(10) भूमि विवाद वाद सं0 13/2014–15 में दिनांक 27.12.2014 का पारित आदेश

(11) हरदेव सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{23}{1}$ की वर्ष 2013–14 की लगान रसीद जो खाता सं0 86, 87 खेसरा सं0 1258 रकबा 1.20 $\frac{3}{4}$ डी0 के लिए निर्गत है।

विपक्षी का कथन है कि

(1) आवेदक के द्वारा दायर यह वाद चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज करने योग्य है।

(2) दिनांक 15.08.1941 के केवाला से कुल 5(पाँच) लोगों के द्वारा विभिन्न खाता, खेसरा के भूखण्ड का क्रय किया गया। खरीदगी के समय विपक्षी हरदेव सिंह का जन्म नहीं हुआ था, परन्तु खरीदारों में विपक्षी हरदेव सिंह के पिता राम सिंहासन सिंह भी थे।

(3) आपसी बंटवारा में 4.95 एकड़ भूखण्ड राम सिंहासन सिंह एवं चन्द्रिका सिंह को मिला। उक्त 4.95 एकड़ भूखण्ड का आपसी बंटवारा चन्द्रिका सिंह, चन्द्रमा सिंह एवं हरदेव सिंह के बीच हुआ। बंटवारा के अनुसार खेसरा सं0 1257, 1258 एवं 802 में 2.47 एकड़ चन्द्रिका सिंह को प्राप्त हुआ तथा खेसरा सं0 1258 में 2.47 एकड़ हरदेव सिंह एवं चन्द्रमा सिंह को मिला। कालान्तर में बंटवारा में प्राप्त, उक्त 2.47 एकड़ का बंटवारा हरदेव सिंह तथा स्व0 चन्द्रमा सिंह की पत्नी राम कुमारी देवी के बीच हुआ तथा बंटवारा के अनुसार $1.20\frac{3}{4}$ एकड़ भूखण्ड हरदेव सिंह (विपक्षी) को मिला।

(4) बंटवारा के अनुसार हरदेव सिंह उक्त $1.20\frac{3}{4}$ एकड़ भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में है तथा दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 $\frac{23}{1}$ कायम है। लगान रसीद निर्गत हो रही है। भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र भी निर्गत किया गया है।

(5) चन्द्रमा सिंह के हिस्से में प्राप्त भूखण्ड पर उनकी पत्नी रामकुमारी देवी दखल में है। उनके नाम से जमाबंदी कायम है। राजकुमारी देवी के द्वारा प्राप्त हिस्से में से खेसरा सं0 1258 के तीन कट्ठा भूखण्ड की बिक्री विभिन्न व्यक्तियों के नाम से दिनांक 24.07.2015 के डीड से की गयी। उक्त डीड के दक्षिण चौहदी में हरदेव सिंह का नाम अंकित है।

(6) आवेदक के द्वारा कुल 10.76 एकड़ भूखण्ड पर अवैध रूप से अपना दावा किया जा रहा है, जबकि विषयगत भूखण्ड पर अन्य फरीकैनों का भी स्वत्व, हित एवं दखल कब्जा है।

(7) विमल देवी, पुत्री चन्द्रदेव सिंह के द्वारा कपटपूर्वक ढंग से विवादित भूखण्ड में से $83\frac{1}{2}$ डी0 का दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लिया था, जिसके विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 48/2013–14 दायर की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के उक्त आदेश के विरूद्ध विमल देवी के द्वारा अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0 14/2015–16 दायर किया गया, जिसे दिनांक 26.08.2017 को निरस्त कर दिया गया।

(8) आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड 10.76 एकड़ पर अपने मालिकाना हक से संबंधित कोई कागज इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि उनकी माता रामकुमारी देवी के नाम से 10.76 एकड़ की जमाबंदी किस आधार पर कायम हुयी। आवेदक कपटपूर्ण ढंग से विपक्षी की जमीन हड़पना चाहते है।

(9) आवेदक के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने हक एवं स्वत्व की घोषणा हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में विविध वाद सं0 13/2014–15 दायर किया गया था। उक्त वाद में विपक्षी ने उपस्थित

होकर अंतःक्षेपक के रूप में अपना पक्ष रखा था। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा इसे स्वत्व का मामला बताते हुए वाद को समाप्त कर दिया गया था।

(10) आवेदक के आवेदन को आधारहीन एवं तथ्यहीन बताते हुए खारिज करने का अनुरोध किया गया था।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 48/2013–14 में दिनांक 27.12.2014 का आदेश

(2) दिनांक 15.08.1941 का केवाला

(3) 24.08.2015 का Deed Detail

(4) सरपंच, ग्राम पंचायत–कण्डप का दिनांक 23.02.2014 का प्रमाण–पत्र

(5) हरदेव सिंह के नाम से 1.20 $\frac{3}{4}$ एकड़ के लिए दिनांक 20.12.2008 को निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

(6) दिनांक 04.06.1995 का बंटवारानामा

(7) दिनांक 12.01.2007 का बंटवारानामा

(8) वर्ष 2015–16 की लगान रसीद जो हरदेव सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{23}{1}$ पर निर्गत है।

(9) दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0 17/2015–16 में दिनांक 26.08.2017 को पारित आदेश

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात के परिशीलन के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) आवेदक के द्वारा दिनांक 15.08.1941 के वसीका से खरीदे गये 10.76 एकड़ भूखण्ड पर दावा किया जा रहा है। उक्त वसीका में कुल 5(पांच) लोग खरीददार थे। 10.76 एकड़ भूखण्ड आवेदक की माता को किस प्रकार प्राप्त हुआ, इसका कोई साक्ष्य आवेदक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(2) आवेदक के द्वारा साक्ष्य के रूप में अपनी माता के नाम से निर्गत वर्ष 1991–92 की लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की गयी है। उसके पहले प्रश्नगत भूखण्ड की जमाबंदी कबसे एवं किसके नाम से कायम थी, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(3) आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने हित, स्वत्व एवं अधिकार की घोषणा के लिए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में वाद सं0 13/2014–15 दायर किया गया था। उक्त वाद में इस वाद के विपक्षी भी अंतःक्षेपक के रूप में पक्षकार बनाये गये थे। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद इसे स्वत्व का मामला बताते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी थी। आवेदक यदि उक्त निर्णय के क्षुब्ध थे तो उन्हें आयुक्त, पटना प्रमण्डल के न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा अपील दायर नहीं कर इस न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद लाया गया।

(4) यह पूर्णतः स्वत्व एवं बंटवारा का मामला है, जिसके लिए आवेदक को सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।

(5) दिनांक 15.08.1941 के केवाला में क्रेता के रूप में विपक्षी के पिता का नाम दर्ज है, अतः आवेदक का यह कहना कि विपक्षी का प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई दावा नहीं बनता, स्वीकार योग्य नहीं है।

(6) प्रस्तुत वाद में न तो आवेदक के द्वारा यह बताया गया कि विवादित भूखण्ड के लिए उनकी जमाबंदी, कब, किस आधार पर एवं किस सक्षम प्राधिकार के आदेश से कायम की गयी, न ही विपक्षी के द्वारा यह बताया गया कि उनकी जमाबंदी कब एवं कैसे कायम की गयी, अतः किसी भी जमाबंदी को वैध या अवैध कहना सम्भव नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के आवेदन पर तत्काल विपक्षी की जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि आवेदक के द्वारा विपक्षी की जमाबंदी के अवैध होने का पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदक स्वंय 10.76 एकड़ पर किस आधार पर दावा कर रहें, यह भी स्पष्ट नहीं है। परन्तु यह मामला समानान्तर जमाबंदी का है, अतः अंचलाधिकारी, सम्पतचक को आदेश दिया जाता है कि वे निम्न बिन्दुओं पर जांच करें।

(1) आवेदक की माता राम कुमारी देवी के नाम से 10.76 एकड़ की जमाबंदी कब एवं किस आधार पर कायम की गयी तथा क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त था।

(2) रामकुमारी देवी के पूर्व प्रश्नगत खाता, खेसरा, जमाबंदी किसके नाम पर, कब से एवं किसके आदेश से कायम थी।

(3) विपक्षी हरदेव सिंह की $1.20\frac{3}{4}$ एकड़ की जमाबंदी कब एवं किस आधार पर कायम की गयी तथा क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त था।

अंचलाधिकारी, सम्पतचक जांचोपरान्त यदि यह पाते है कि किसी की भी जमाबंदी बिना वैध आदेश के कायम है तो अपने मंतव्य के साथ इसे रद्द करने का प्रस्ताव इस न्यायालय को भेजेगें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/2/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

8/2/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना